

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई आर.ए.एस.

रसद विविध :: 278/2018 ::

आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2018/00383 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी:-
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, रानी		इन्द्रलाल पुत्र पुखराज निवासी सोजत रोड मालिक मैसर्स इन्द्र प्रजापति ज्यूस प्लाजा एण्ड नमकीन, सोजत रोड जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

--: निर्णय :-

दिनांक : 31/12/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म मै. इन्द्र प्रजापति ज्यूस प्लाजा एण्ड नमकीन, सोजत रोड जिला पाली (राज.) वक्त निरीक्षण दिनांक 10.07.2018 को मौके पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) आइओसी कम्पनी के जिनमें क्रमशः 4.500 किग्रा, 13.400 किग्रा व 9.400 किग्रा गैस से भरी हुई एवं 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) जिसमें 4.900 किग्रा गैस भरी हुई मय भट्टी अवैध संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 10.07.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु हमराह जिला रसद अधिकारी श्री प्रमोद सीरवी (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) के साथ सोजत रोड स्थित मै. इन्द्र प्रजापति ज्यूस प्लाजा एण्ड नमकीन सोजत रोड जिला पाली पर पहुंचें। मौके पर अप्रार्थी श्री इन्द्रलाल पुत्र पुखराज उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही फर्म का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर प्रतिष्ठान की जांच करने पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) आइओसी कम्पनी के जिनमें क्रमशः 4.500 किग्रा, 13.400 किग्रा व 9.400 किग्रा गैस से भरी हुई एवं 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) जिसमें 4.900 किग्रा गैस भरी हुई मय भट्टी पायी गई। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं पाये गए न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी उपरोक्त गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से उपयोग कर मिष्ठान, नमकीन व खाना बनाने हेतु करता है। अप्रार्थी द्वारा वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स सोजत गैस सर्विस के मैनेजर से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री पदमचंद टांक पुत्र सोहनलाल टांक निवासी धोलीवाडी के पास, सोजत सिटी हाल मैनेजर मैसर्स सोजत सिटी को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरों को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए. सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

आर. सी. ए. एस. विभा. कलेक्टर, पाली

अप्रार्थी ने जवाब में उल्लेख किया कि अप्रार्थी की ग्राम सोजत रोड में ज्यूस एवं नमकीन की दुकान है जिस हेतु अप्रार्थी ने व्यावसायिक गैस कनेक्शन ले रखा है जिसके नम्बर 7070913711 है, जिसमें 4 सिलेण्डर की क्षमता है। उसकी दुकान से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर उसके पुत्र के नाम का है, जो वह गैस भरवाने हेतु लेकर आया था। जिसे प्रार्थी ने जब्त कर लिया तथा उसे संबंधित दस्तावेज पेश करने का भी समय नहीं दिया गया। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जब्त सुदा सामग्री को रिलीज फरमावे।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी के जवाब व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) आइओसी कम्पनी के जिनमें क्रमशः 4.500 किग्रा, 13.400 किग्रा व 9.400 किग्रा गैस से भरी हुई एवं 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) जिसमें 4.900 किग्रा गैस भरी हुई मय भट्टी उनके व्यावसायिक परिसर मैसर्स इन्द्र प्रजापति ज्यूस एण्ड नमकीन, सोजत रोड, जिला पाली (राज.) में पाया गया। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र एवं गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष वक्त निरीक्षण पेश नहीं किए गए तथा अप्रार्थी ने अपने जवाब में की उनके प्रतिष्ठान से प्राप्त घरेलू सिलेण्डर गैस भरवाने हेतु रखा हुआ था अंकित किया किन्तु इन तथ्यों के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया, जो इनकी ताईद करता हो। जब्तसुदा सिलेण्डरों में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में गैस भरी हुई थी, सिलेण्डर खाली नहीं थे, इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी की दुकान से प्राप्त सिलेण्डर उसके घरेलू उपयोग के नहीं है तथा अप्रार्थी उसका उपयोग व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अपने प्रतिष्ठान में करता था। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री इन्द्रलाल द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण किए जाने पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) आइओसी कम्पनी के जिनमें क्रमशः 4.500 किग्रा, 13.400 किग्रा व 9.400 किग्रा गैस से भरी हुई एवं 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) जिसमें 4.900 किग्रा गैस भरी हुई मय भट्टी पाये गए को राज्यसात (Confiscate) किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि को तथा भट्टी को नीलाम कर उससे प्राप्त समस्त राशि राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

निर्णय आज दिनांक 31/12/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति जिला कलेक्टर, पाली